न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010036622025

Sessions Case/1896/2025
State of U.P. Vs. Kuldeep Urph Balla
सत्र परीक्षण संख्या–1896/2025

सरकार बनाम कुलदीप उर्फ बल्ला
मु0अ0सं0 94/2025
अ0 धारा 65(1) ,351 (2),बी0एन0एस0
एवं 3/4 (2)पोक्सो अधिनियम
थाना कपूरपुर ,जिला हापुड ।

18.02.2026 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त कुलदीप उर्फ बल्ला जेरे हिरासत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 65(1) ,351 (2), बी0एन0एस0, 3/4 (2)पोक्सो अधिनियम के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 25.02.2025 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 18.02.2026

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.02.20 11:23:37 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010036622025

Sessions Case/1896/2025

State of U.P. Vs. Kuldeep Urph Balla

सत्र परीक्षण संख्या–1896/2025

सरकार बनाम कुलदीप उर्फ बल्ला

मु0अ0सं0 94/2025

अ0 धारा 65(1) ,351 (2),बी0एन0एस0

एवं 3/4 (2)पोक्सो अधिनियम

थाना कपूरपुर ,जिला हापुड ।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त कुलदीप उर्फ बल्ला पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 02.05.2025 को समय अदम तहरीरी शमशान घाट के पास बना कमरा स्थित ग्राम समाना बहद थाना कपूरपुर ,,जिला हापुड में आपने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''एस'' /पीडिता उम्र करीब 13 वर्ष (16 वर्ष से कम) से बलात्संग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 65(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''एस'' /पीडिता उम्र करीब 13 वर्ष (16 वर्ष से कम)को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 351(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''एस'' /पीडिता उम्र करीब 13 वर्ष (16 वर्ष से कम) पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)

दि0 18.02.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 18.02.2026